

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क्र-444/2012
संस्थित दिनांक-07.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. भैयालाल पुत्र भन्ते धोबी उम्र 70 साल
 2. चन्द्रभान पुत्र भैयालाल धोबी उम्र 30 साल
 3. रामनिवास पुत्र भैयालाल धोबी उम्र 27 साल
- निवासीगण ग्राम हंसारी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 21.03.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 504, 323, 324/34 के दण्डनीय अपराध है कि उन्होंने दिनांक 17.10.2012 को सुबह 07:00 बजे ग्राम हंसारी में फरियादी जबरा व गुडडी बाई को इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करें तथा साथस ही गुडडी बाई को डंडे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी जबरा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी जबरा के साथ किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहति कारित करें।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2017 को सुबह 07 बजे फरियादी जबरा अपने खलिहान पर था, तभी चन्द्रभान, रामनिवास और भैयालाल आये, जबरा ने कहा टैक्टर शामलाती है, उससे सभी लोग अपने अपने खेती जुताई करेंगे। तो चंद्रभान और रामनिवास और भैयालाल बोले की ना ही टैक्टर चलाउंगा और न ही चलाने दूंगा और तीनों गालियां देने लगे, जबरा ने गालिया देने से मना किया तो चंद्रभान ने जबरा के सिर में डंडा मारा जिससे खून निकल आया। गुडडी बाई बचाने आई तो रामनिवास और भैयालाल ने उसकी मारपीट की, जिससे पीठ में मुंदी चोट आई, मौके पर गुडडी बाई और दखाबाई आई जिन्होंने जबरा को बचाया। फरियादी जबरा के द्वारा उक्त दिनांक को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 341/2012 अंतर्गत धारा— 323, 324, 504, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313

द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने 17.10.2012 को सुबह 07:00 बजे ग्राम हंसारी में फरियादी जबरा व गुडडी बाई को इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करें अथवा अन्य कोई अपराध कारित करें ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गुडडी बाई को डंडे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जबरा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी जबरा के साथ किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहति कारित करें ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02, 03 व 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में फरियादी जबरा (अ0सा0-01) सहित ६ टटना में आहत गुडडी बाई (अ0सा0-02) व साक्षी दाखाबाई (अ0सा0-03) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। गुडडी बाई (अ0सा0-02) फरियादी जबरा की पत्नी है, दाखाबाई (अ0सा0-03), जबरा (अ0सा0-01) व गुडडी बाई (अ0सा0-02) की पुत्री है। अभियोजन की ओर से चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर आर पी शर्मा (अ0सा0-05) सहित अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक अब्दुल हमीद (अ0सा0-04) के भी कथन न्यायालय में कराये गये।
- 07— प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण और फरियादी एक ही परिवार के हैं तथा अभियुक्त भैयालाल फरियादी जबरा अ0सा-01 सगे भाई एवं अभियुक्त चंद्रभान और रामनिवास भैयालाल के पुत्र होकर जबरा (अ0सा0-01) के भतीजे हैं, यह प्रकरण में विवादित नहीं है तथा इस तथ्य को गुडडी बाई (अ0सा0-02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-03 में स्वीकार किया है। जबरा (अ0सा0-01) का अपने कथनों की

कण्डिका-01 में कहना है कि उसका और आरोपीगण का जमीन के बटवारे का विवाद है, उनका टैक्टर शामिल है, जिसे दो दिन वह चलाता है तथा दो दिन आरोपीगण चलाते हैं तथा घटना दिनांक को भी आरोपीगण ने टैक्टर मांगा था तो उसने दे दिया था।

- 08- जबरा (अ0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह स्वीकार करता है कि उसका और आरोपीगण का शामिल खाते का खेत है, जो आधा आधा है तथा एक टैक्टर भी शामिल है, जिसके चलाने के लिये उनके दिन निर्धारित है तथा आरोपीगण उसे टैक्टर चलाने नहीं देते हैं। गुडडीबाई (अ0सा0-02) जो कि फरियादी जबरा (अ0सा0-01) की पत्नी है, का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उनका और आरोपीगण का खेत और टैक्टर शामिल है तथा टैक्टर चलाने अवसर बंधे हुये हैं।
- 09- गुडडी बाई (अ0सा0-02) के अनुसार उन्होंने अपने अवसर पर आरोपीगण को टक्कर चलाने के लिये दिया था उसी समय चंद्रभान ने आकर उसे मां-बहन की गालिया दी थी। दाखाबाई (अ0सा0-03) जो कि फरियादी की पुत्री है, ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि घटना के समय उसकी मां पानी भरने के लिये खेत पर आई थीं, तो आरोपीगण ने उससे कहा था कि टैक्टर हमारा है हमें दे दो जो कि शामिल का था, तो आरोपीगण उसकी मां को गालियां देने लगे थे।
- 10- अतः जबरा (अ0सा0-01) व गुडडी बाई (अ0सा0-02) एवं दाखाबाई (अ0सा0-03) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन एवं बचाव पक्ष के द्वारा फरियादी जबरा (अ0सा0-01) के प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव पर जबरा (अ0सा0-01) की सहमति से यह स्पष्ट होता है कि फरियादी और अभियुक्तगण के मध्य मुख्य रूप से घटना के समय विवाद का कारण शामिल टैक्टर था, जिसे चलाने को लेकर एवं बटवारे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति थी।
- 11- जबरा (अ0सा0-01) व दाखाबाई (अ0सा0-03) ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण की रिपोर्ट पर से जबरा के विरुद्ध इस रिपोर्ट से पहले प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, इस कारण से प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को ही आरोपीगण के द्वारा इस रिपोर्ट से पूर्व फरियादी जबरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फरियादी व आरोपीगण के मध्य शामिल टैक्टर को लेकर पूर्व से विवाद की स्थिति अथवा रंजिश होना तथा घटना दिनांक को दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट किया जाने से इस बिंदु पर सूक्ष्मता से विचार किया जाना है कि वास्तव में फरियादी के द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना में कितनी सत्यता है।
- 12- जबरा (अ0सा0-01) जो कि घटना में आहत होकर स्वयं फरियादी है, का घटना के संबंध में अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि घटना दो-तीन साल पहले की है। फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समय व स्थान स्पष्ट नहीं किया है, परन्तु

प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में दिये गये कथनों के अनुसार घटना का समय 10-11 बजे का होना बताया है। फरियादी के अनुसार घटना के समय वह अपने घर खाना खाने और दवाई खाने जा रहा था, तो चन्द्रभान बांस का डण्डा लेकर आया था और जमीन बौने की कहने लगा तथा उसे व उसकी पत्नी को गालियां दी थी। जबरा (अ0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण में पुनः यह कहता है कि घटना दिनांक को वह खलिहान में नाश्ता करके बैठ गया था, तो चन्द्रभान ने आकर सीधे मां-बहन की गंदी गंदी गालिया देना शुरू कर दिया था।

- 13- जबरा (अ0सा0-01) उपरोक्त कथनों को यदि देखा जाये, तो सर्वप्रथम तो उसके इन कथनों में ही अपने आप में विरोधाभास है कि वास्तव में घटना प्रारंभ होने से पूर्व वह कर क्या रहा था, घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सुबह 07 बजे की है, परन्तु फरियादी घटना 10-11 बजे की होना बताता है। निश्चित रूप से समय को लेकर फरियादी के कथनों में विरोधाभास तात्त्विक नहीं है, परन्तु फरियादी का एक ओर यह कहना कि वह नाश्ता करके खलिहान में बैठा था, तो अभियुक्त चंद्रभान ने आकर गालिया दी थी, वही दूसरी ओर इसके विपरीत फरियादी का यह कहना कि वह घटना के समय घर पर खाना खाने व दवाई खाने जा रहा था अपने आप में समय को लेकर दिये गये विरोधाभासी कथनों को तात्त्विक बना देता है, क्योंकि अभियोजन घटना का जो समय प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 01 में दर्शाया गया है, उस समय के अनुसार फरियादी दो में से एक ही काम कर सकता है या तो वह खेत पर नाश्ता करके घटना के समय बैठा हो सकता है या फिर वह खाना खाने के लिये जा सकता है।
- 14- जबरा (अ0सा0-01) के अनुसार घटना के समय वह खाना खाने जा रहा था तो अभियुक्त चंद्रभान ने आकर उसके व उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच की थी व उसके सामने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी, परन्तु गुडडी बाई (अ0सा0-02) के द्वारा अपने कथनों अपने कथनों में व्यक्त किया है कि चंद्रभान ने जब आकर उसके साथ मारपीट की थी तो उसका पति उस समय नहा रहा था। अतः ऐसे में घटना के समय जबरा (अ0सा0-01) मौके पर वास्तव में खाना जा रहा था या नहा रहा था अथवा नाश्ता करके बैठा था, इस संबंध में स्वयं जबरा (अ0सा0-01) के कथनों में अपने आप में विरोधाभास है, वहीं जबरा (अ0सा0-01) व गुडडी बाई (अ0सा0-02) के कथनों में भी इस संबंध में विरोधाभास की स्थिति है।
- 15- घटना फरियादी के खलिहान की है, इस संबंध में फरियादी के द्वारा न्यायालय में दिये कथनों की पुष्टि एवं घटना दर्ज कराई प्रथम सूचना प्र0पी-01 व अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक अब्दुल हमीद (अ0सा0-04) के द्वारा विवेचना के दौरान तैयार किये गये नक्शा मौका प्र.पी.-02 में चिह्नित घटना स्थल से अवश्य होती है, परन्तु घटना सुबह 10-11 बजे की है तथा विवाद अभियुक्त चंद्रभान के द्वारा बांस का डंडा लेकर खलिहान में आकर जमीन बौने के लिये कहने पर हुआ था, इस संबंध में फरियादी जबरा (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम

सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 में वर्णित घटना एवं पुलिस को दिये गये कथनों से मेल नहीं खाते हैं।

- 16- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 के अनुसार घटना का समय 07 बजे का लेख कराया गया है, वहीं मौके पर विवाद का कारण तीनों अभियुक्तगण के खलिहान पर पहुँचने के बाद शामलाती टैक्टर को फरियादी के द्वारा चलाने का कहने पर विवाद प्रारंभ होना फरियादी के द्वारा लेख कराया गया है। जबकि फरियादी जबरा (अ0सा0-01) अपने न्यायालीन कथनों में घटना का समय 10-11 बजे का होना बताता है तथा न्यायालय में विवाद चंद्रभान के द्वारा पूरी जमीन बौने के लिये कहने पर से होना बताता है। जबरा (अ0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में स्वयं इस बात का खण्डन करता है कि घटना के दिन भैयालाल से टैक्टर चलाने के लिये नहीं मांगा, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 के अनुसार इसी बात पर विवाद हुआ था। अतः विवाद किस कारण से हुआ तथा घटना कितने बजे की है, इस संबंध में फरियादी के कथनों में विरोधाभास देखा जा सकता है।
- 17- जबरा (अ0सा0-01) का कहना है कि चंद्रभान घटना के समय बांस का डंडा लेकर आया था और उसे उसकी पत्नी को मां-बहन की गालियां दे रहा था और उसकी पत्नी ने गालियां देने से मना किया तो चंद्रभान ने गुडडी बाई के कंधे में लाठी मारकर उसका कंधा तोड़ दिया, दाखाबाई बचाने आई तो चंद्रभान ने लाठी मारकर उसका हाथ तोड़ दिया और जब वह स्वयं बचाने गया तो भैयालाल ने उसे पकड़ लिया और रामनिवास और चंद्रभान ने टैक्टर के पार्ट की चाबी से उसे मारा जिससे उसके सिर में चोट आई।
- 18- गुडडी बाई (अ0सा0-02) का अपने कथनों में कहना है कि चंद्रभान ने उसे आकर गालियां दी थी, और चंद्रभान को गालियां देने से मना किया था, तो चंद्रभान ने उसे एक लट्ठ मार दिया था, जो उसे कंधे के पास लगा था। गुडडी बाई (अ0सा0-02) का कहना है कि उस समय उसका पति नहा रहा था, और उसका पति आया तो आरोपीगण ने भी उसके साथ भी मारपीट की थी। दाखाबाई (अ0सा0-03) का भी अपने कथनों में यह कहना है कि घटना के समय वह घर पर खाना बना रही थी उसकी पानी भरने के लिये खेत पर गई थी, तो आरोपीगण ने आकर उसकी मां को बुरी-बुरी गालियां दी थीं और जब उसकी मां ने आरोपीगण को रोका तो अभियुक्त चंद्रभान ने उसके मां के कंधे में डंडा मार दिया था, जिससे उसका कंधा टूट गया था तथा इस घटना के बाद उसके पिता और वह स्वयं मां को बचाने गये थे, तो उनके साथ भी मारपीट हुई थी।
- 19- जबरा (अ0सा0-01), गुडडी बाई (अ0सा0-02) व दाखाबाई (अ0सा0-03) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों को यदि एक साथ देखा जाये, तो इन तीनों ही साक्षियों का एक राय होकर यह कहना है कि विवाद की शुरुआत अभियुक्त चंद्रभान के द्वारा गुडडी बाई (अ0सा0-02) को खलिहान में आकर गालियां देने से हुई थी और गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त चंद्रभान ने ही गुडडी बाई के कंधे में डंडा मारकर उसका कंधा तोड़

दिया था तथा बाद में जबरा (अ0सा0-01) व दाखाबाई (अ0सा0-03) जब गुडडी बाई (अ0सा0-02) को बचाने आये थे, तो उनके साथ भी मारपीट हुई थी।

- 20- जबरा (अ0सा0-01) व दाखाबाई (अ0सा0-03) जब गुडडी बाई (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन कहीं से भी अभियोजन घटना से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि अभियोजन घटना के अनुसार गुडडी बाई (अ0सा0-02) के साथ अभियुक्त चंद्रभान ने कोई मारपीट ही नहीं की और अभियोजन घटना के अनुसार अभियुक्त रामनिवास व भैयालाल के द्वारा गुडडी की मारपीट किये जाने के संबंध में जो प्र.पी.-01 रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई उसके संबंध में स्वयं गुडडी बाई (अ0सा0-02) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में यह कहती है कि भैयालाल और रामनिवास ने उसे नहीं मारा। अतः गुडडी बाई (अ0सा0-02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन में स्पष्ट रूप से गंभीर विरोधाभास देखा जा सकता है तथा फरियादी जबरा (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त भी प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट भिन्न होने से उनमें विरोधाभास की स्थिति है।
- 21- जबरा (अ0सा0-01) सहित गुडडी बाई (अ0सा0-02) व दाखाबाई (अ0सा0-03) चंद्रभान के द्वारा लाठी मारने से गुडडी बाई (अ0सा0-02) का कंधा टूटना अपने कथनों में बताते हैं, वहीं जबरा (अ0सा0-01), दाखाबाई (अ0सा0-03) का चंद्रभान के द्वारा लाठी से हाथ तोड़ने के संबंध में न्यायालय में कथन देता है, परन्तु स्वयं दाखाबाई (अ0सा0-03) का ऐसा कही भी कहना नहीं है कि चंद्रभान उसका हाथ तोड़ दिया था। डा0 आर. पी. शर्मा (अ0सा0-05) जिनके द्वारा आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 17.10.2012 को किया गया, ने मात्र गुडडी बाई (अ0सा0-02) तथा फरियादी जबरा (अ0सा0-01) का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने की पुष्टि की है तथा दाखाबाई (अ0सा0-03) का कोई चिकित्सीय परीक्षण इस साक्षी के द्वारा नहीं किया गया। प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 01 एवं साक्षियों के द्वारा पुलिस को दिये गये कथनों में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि दाखाबाई (अ0सा0-03) के साथ भी घटना में मारपीट हुई थी।
- 22- अतः घटना में दाखाबाई (अ0सा0-03) के साथ आरोपीगण या उनमें से किसी ने मारपीट की थी, इस संबंध में स्वयं दाखाबाई (अ0सा0-03) एवं शेष साक्षियों के द्वारा दिये गये कथन अभियोजन घटना के विपरीत हैं। दाखाबाई (अ0सा0-03) का घटना में चिकित्सीय परीक्षण न होने व प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिये गये कथनों में दाखाबाई (अ0सा0-03) के साथ आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा मारपीट कि जाने वाली घटना का उल्लेख न होने से यह स्पष्ट होता है कि दाखाबाई (अ0सा0-03) के घटना न तो कोई उपहति कारित हुई और न ही आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की तथा इस संबंध में स्वयं दाखाबाई (अ0सा0-03) सहित साक्षियों के कथन बड़ा-चढ़ा कर दिये गये हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।

- 23— अभियुक्त चंद्रभान के द्वारा लाठी मार कर गुडडी बाई का कंधा तोड़ा गया, इस संबंध में सभी साक्षियों ने एक राय होकर कथन अवश्य दिये हैं, परन्तु ऐसी कोई घटना का उल्लेख प्र.पी.-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों में नहीं है। गुडडी बाई (अ0सा0-02) का कहना है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण में चंदेरी में नहीं हुआ, बल्कि अशोकनगर में हुआ था, जबकि डॉ० आर. पी. शर्मा (अ0सा0-05) के अनुसार दिनांक 17.10.2012 को गुडडी बाई (अ0सा0-02) के चिकित्सीय परीक्षण में उन्होंने गुडडी बाई शरीर पर कोई चोट तक नहीं पाई थी। अतः यदि गुडडी बाई (अ0सा0-02) के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, तो अशोकनगर जिले में उसका चिकित्सीय परीक्षण होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
- 24— गुडडी बाई (अ0सा0-02) स्वयं अपने कथनों में स्वीकार करती है कि भैयालाल और रामनिवास ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की, वहीं चंद्रभान ने लाठी मारकर उसका कंधा तोड़ दिया था, इस संबंध में सभी साक्षियों के कथन अभियोजन घटना से भिन्न होने से एवं चिकित्सीय परीक्षण में गुडडी बाई (अ0सा0-02) को कोई चोट न पाये जाने से फरियादी सहित किसी भी साक्षी के कथन इस संबंध में विश्वसनीय नहीं है कि गुडडी बाई (अ0सा0-02) के साथ वास्तव में आरोपीगण या उनमें से किसी ने कोई मारपीट कर उपहति कारित की थीं।
- 25— जबरा (अ0सा0-01) अपने न्यायालीन कथनों में कहता है कि उसे रामनिवास और चंद्रभान ने टैक्टर की पार्ट की चाबी से मारा था तथा भैयालाल ने उसे पकड़ लिया था। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 04 में जबरा (अ0सा0-01) का कहना है कि चाबी जिससे उसके साथ मारपीट की गई थी, वह एक फीट की थी। गुडडी बाई (अ0सा0-02) व दाखाबाई (अ0सा0-03) भी अपने कथनों में जबरा (अ0सा0-01) को आरोपीगण द्वारा चाबी से उपहति कारित करने के संबंध में कथन देती हैं। यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम तो जबरा (अ0सा0-01) दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों में किसी भी साक्षी ने ऐसी कोई घटना लेख नहीं कराई गई कि उसके साथ टैक्टर के नट खोलने की चाबी से जो कि लोहे की होती है, से रामनिवास एवं चंद्रभान ने सिर में मारकर उपहति कारित की।
- 26— अतः जबरा (अ0सा0-01) को घटना में लोहे की चाबी से सिर में मारकर आरोपीगण ने या उनमें से किसी ने उपहति कारित की थी इस संबंध में जबरा (अ0सा0-01) के कथन न तो प्र.पी. 01 की रिपोर्ट जो कि स्वयं उसके द्वारा लेख कराई गई, वर्णित घटना से मेल खाते हैं और न ही ऐसे कोई कथन पुलिस को दिये हैं। डॉ० आर. पी. शर्मा (अ0सा0-05) का कहना है कि जबरा (अ0सा0-01) के चिकित्सीय परीक्षण में उन्होंने जबरा (अ0सा0-01) के सिर में बाये तरफ एक मामूली आधा इंच गुणित 1/4 इंच की रेखाकार खरोंच पाई थी जिसके संबंध में इस साक्षी का कहना है कि उक्त चोट लाठी के प्रहार से आना संभव नहीं है।

- 27- जबरा (अ0सा0-01) के सिर में चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई उपरोक्त चोट एक मामूली खरोंच है जो निश्चित रूप से किसी सख्त वस्तु जैसे किसी लाठी या लोहे की चाबी से आना किसी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि यदि लाठी का प्रहार फरियादी के सिर पर किया जाना तो सिर में फटा हुआ घाव या नीलगू निशान की चोट अवश्य पाई जाती। अतः फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास की स्थिति को देखते हुये साक्षियों के कथन इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि वास्तव में जबरा (अ0सा0-01) के सिर में चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई मामूली खरोंच अभियुक्तगण के द्वारा की गई मारपीट का परिणाम थी।
- 28- जबरा (अ0सा0-01) सहित गुडडी बाई (अ0सा0-02) व दाखाबाई (अ0सा0-03) सर्वप्रथम चंद्रभान के द्वारा गुडडी बाई को लाठी मारकर उसका कंधा तोड़ना अपने कथनों में बताते हैं, जिसके संबंध में किसी भी साक्षी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। वही जबरा को लोहे की चाबी से सिर पर उपहति कारित की गई या दाखाबाई (अ0सा0-03) का चंद्रभान ने लाठी से हाथ तोड़ दिया था इस संबंध में भी साक्षियों के कथन अभियोजन घटना के विपरीत होने से लेशमात्र भी विश्वसनीय नहीं है।
- 29- प्रत्येक घटना घटित होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है तथा घटना में फरियादी या मुख्य आहत के द्वारा उक्त कारण के संबंध में ही यदि विरोधाभासी कथन दिये जाये तो उनकी द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह होना स्वाभाविक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 01 के अनुसार स्वयं फरियादी के द्वारा अभियुक्तगण से टैक्टर चलाने की मांग करने पर सर्वप्रथम अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी जबरा (अ0सा0-01) के साथ गाली गलौच व मारपीट की गई, परन्तु फरियादी उपरोक्त घटना से ही इन्कार करते हुये यह कहता है कि उसने अभियुक्तगण से टैक्टर की मांग नहीं की तथा मारपीट भी पहले पत्नी की हुई थी, उसे बीच बचाव में अभियुक्तगण ने मारा था।
- 30- अभियोजन कहानी के अनुसार घटना की शुरुआत जबरा (अ0सा0-01) के साथ अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने से हुई, परन्तु सभी साक्षी गुडडी बाई (अ0सा0-02) के साथ चंद्रभान के द्वारा गाली गलौच की जाकर घटना प्रारंभ होना बताते हैं। गुडडी बाई को चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार घटना में कोई चोट नहीं थी, परन्तु न्यायालय में दिये गये कथन में सभी साक्षी गुडडी बाई का कंधा टूटना बताते हैं। दाखाबाई (अ0सा0-03) यदि घर पर खाना बना रही थी, तो वह घटना स्थल पर कैसे पहुचीं, यह कहीं इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया तथा प्रतिपरीक्षण में वह घटना स्थल पर क्या क्या है, इसकी जानकारी होने से ही इन्कार करती है तथा घटना आर. सी. सी. पर होना बताती है, घटना का स्थान नक्शा मौका प्र.पी. 02 के अनुसार खलिहान है।
- 31- अभियोजन घटना के अनुसार चंद्रभान ने फरियादी के सिर पर डंडा मारा था तथा राम निवास और भैयालाल ने गुडडी बाई के साथ मारपीट की थीं, परन्तु न्यायालय में

फरियादी सहित आहत गुडडी बाई (अ0सा0-02) व दाखाबाई (अ0सा0-03) के कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना के विपरीत हैं की वास्तव में किस अभियुक्त ने किस वस्तु से किसके साथ मारपीट की। डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0-05) की चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि गुडडी बाई (अ0सा0-02) को घटना में कोई चोट नहीं आई वहीं जबरा (अ0सा0-01) के सिर पर मामूली खरोंज का निशान था जो कि लाठी के प्रहार आना किसी प्रकार से संभव नहीं था।

- 32— जबरा (अ0सा0-01) स्वयं अपने कथनों में यह स्वीकार करता है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसके विरुद्ध पहले थाने पर रिपोर्ट की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 01 के अनुसार घटना सुबह 07:00 बजे की होना लेख हैं। फरियादी जबरा (अ0सा0-01) घटना सुबह 10-11 बजे की होना बताता है। जबरा (अ0सा0-01) सहित गुडडी बाई (अ0सा0-02) व दाखाबाई (अ0सा0-03) के कथनों में गंभीर तात्त्विक विरोधाभास है व पूरे न्यायालीन कथन अभियोजन घटना के विपरीत होकर उनके द्वारा पुलिस को दिये गये कथनों से मेल नहीं खाते हैं। चिकित्सीय साक्ष्य यह प्रमाणित है कि जबरा (अ0सा0-01) व गुडडी बाई (अ0सा0-02) के शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई, जो कि मारपीट का परिणाम दर्शित करती हो, अतः फरियादी जबरा (अ0सा0-01) व साक्षियों के द्वारा दिये गये विरोधाभासी कथनों को देखते हुये अभियोजन घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है तथा यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में कहीं अभियुक्तगण के द्वारा की गई रिपोर्ट से बचने के लिये यह प्रतिरक्षा स्थापित करने के लिये फरियादी के द्वारा काल्पनिक घटना बताकर झूठी रिपोर्ट तो लेखबद्ध नहीं कराइ है।
- 33—किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता हैं। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन घटना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा साक्षियों के कथनों में गंभीर तात्त्विक विरोधाभास की स्थिति को देखते हुये, अभिलेख पर उत्पन्न हुये उक्त युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित होगा।
- 34—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक-17.12.2010 को सुबह 07:00 बजे ग्राम हसारी में अभियुक्तगण ने गुडडी बाई को डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की अभियोजन यह भी साबित करने में असफल रहा है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने जबरा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में जबरा को धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहति कारित की एवं अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सका है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी व आहत को इस आशय से प्रकोपित किया वह लोक शांति भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करें।

35- फलतः अभियुक्त भैयालाल पुत्र भन्ते धोबी, चन्द्रभान पुत्र भैयालाल धोबी, रामनिवास पुत्र भैयालाल धोबी को भा.द.वि. की धारा 504, 323, 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 504, 323, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

36-अभियुक्तगण धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)